—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 77/2021

उनवान

पांचूलाल पुत्र छोगा जाति रेगर निवासी ग्राम नान्दला, नसीराबाद
—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. अशोक पुत्र नारायण (फौत) जरियें वारिसान
1/1. पूर्णिमा पत्नी अशोक
1/2. नेहा पुत्री अशोक
1/3. दीपशिखा पुत्री अशोक
1/4. शिल्पा पुत्री अशोक
1/5. मोहित पुत्र अशोक
2. कमला पुत्री सुवा उर्फ सवाई
3. राकेश पुत्र किशनलाल
4. फूलचन्द पुत्र छोगा
5. बेबी पुत्री हजारी
6. बिल्ला पुत्री नारायण
7. मुन्नी पुत्र नारायण
8. मनोहर पुत्र नारायण
9. मीरा पुत्री सुवा उर्फ सवाई
10. मोतीलाल पुत्र सुवा उर्फ सवाई
11. रतन पुत्र नारायण
12. शारदा पुत्री नारायण
13. सुनिल पुत्र हजारी
14. अनिल पुत्र सुरज
15. रवि पुत्र सुरज
16. सविता पुत्री सुरज
17 कविता पुत्री सुरज समस्त जाति रेगर निवासी ग्राम नान्दला, नसीराबाद
18. उप पंजीयक नसीराबाद
19. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– 1 से 17 जरियें अधिवक्ता श्री नरेन्द्र पाराशर
18 व 19 जरियें राज. पेशोकार

20. माणकचन्द पुत्र छोगा जाति रेगर निवासी ग्राम ना[illegible] नसीराबाद
—— [illegible] अप्रार्थी [illegible] श्री रणजीत रावत

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:49:28 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक :— 14.10.24

–: आदेश :–

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नान्दला के खाता संख्या 475/390 किता 9 रकबा 4.62 की आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी है। उक्त आराजी पर प्रार्थी पुश्तेनी समय से ही काबिज चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 से 17 ने बिना किसी अधिकार के उक्त आराजी को हडपने की नियत से हल चलाकर कब्जा कर लिया जिसका उन्हे कोई कानूनी अधिकार नही है। अतः अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जावे की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखल नही करे भूमि का अन्यत्र हस्तांतरण/बैचान नही करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 17 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा मृतक सुण्डा के 4 पुत्र कमशः छोगा, सुवा उर्फ सवाई, हजारी व नारायण की है, जिनके वारिस प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 से 17 व 20 है। उक्त आराजी का कुल रकबा 30–4–0 है। उक्त आराजी का विभाजन किया जाना न्यायहित में अत्यंत आवश्यक है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 20 द्वारा खसरा संख्या 1106 रकबा 0.73 को बिना किसी अन्य पक्षकार की सहमती/सम्मति के तथाकथित रूप से मेसर्स विष्णुप्रकाश आर पुगंलिया को किराये पर दे रखा है व किराया राशि प्राप्त कर रहे है। प्रार्थी अविभाजित आराजी पर अप्रार्थी को पाबंद किये जाने का अधिकारी नही है। आराजी मुतनाजा के साथ खसरा नम्बर 1241 का उल्लेख नही किया गया है। उक्त आराजी बाबत पूर्व में भी विभाजन हेतु वाद पेश किया गया था। जिसका निर्णय दिनांक 13.04.1993 को किया जाकर अपील का निस्तारण दिनांक 27.12.1997 को राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा किया जा चुका है। उक्त प्रार्थना पत्र पूर्व न्याय के सिद्वान्त से विधि द्वारा वर्जित है। अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 20 ने जवाब मय प्रति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा प्रार्थी व जवाबकर्ता के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 1 व 3 से 11 व 13 से 17 के पूर्वज नारायण द्वारा अपनी पुश्तैनी भूमि में दावाकृत भूमि का बंटवारा व इकरारनामा दिनांक 07.06.2001 को लेखबद्व कर प्रार्थी व जवाबकर्ता के पक्ष में भूमि का विवाद मुकदमा निस्तारण के समय कर दिया। आराजी मुतनाजा के मालिक व स्वामी प्रार्थी व जवाबकर्ता चले आ रहे है। अतः प्रति प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी व जवाबकर्ता को खातेदार दर्ज किया जावे अप्रार्थी संख्या 1 से 17 को पाबंद किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 17 ने जवाब प्रति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी का कथन मिथ्या है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 20 के पक्ष में जवाबकर्ता के पूर्वज नारायण द्वारा आराजी मुतनाजा का बंटवारा व इकरारनामा कभी भी निष्पादित नही किया है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 20 दोनो सगे भाई है, जो जवाबकर्ता की भूमि हडपने व बेदखल करने पर प्रयासरत है। प्रति प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेज की कोई सूची सलंग्न नही की है। अप्रार्थी संख्या 20 द्वारा आदेश 8 नियम 1 ए की पालना नही की है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 17 अभिलिखित खातेदार है। राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 12.04.24 रिवीजन संख्या 2857/सीकर/2010 व [illegible] श्रीगानगर दिनांक 22.12.15 में प्रतिपादित सिद्वान्त के अनुसार उनके विरूद्ध [illegible] की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। आराजी मुतनाजा [illegible] नही हो जाता प्रत्येक सहखातेदार का उस भूमि के प्रत्येक इंच पर कब्जा [illegible] है। धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत किसी गैर पंजीकृत लिखित समझौते अथवा

—3

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:19:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

इकरारनामें की काई मान्यता नही है। एआईआर 1976 सुप्रीम कोर्ट 807 में यह प्रतिपादित किया गया है कि ऐसा कोई समझौता लिखित में है तो धारा 17(2) भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। ऐसे बंटवारे में आवश्यक रूप से पंजीयन करवाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त 1994 आर.आर.डी. 569 लाडूराम बनाम भींवाराम में प्रतिपादित अनुसरण में जौत के विभाजन के लिये आपसी समझौता जो धारा 53 के उपबन्धों के अनुसार नही है, अवैध है। ऐसे समझौते के आधार पर न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 20 के पक्ष में किसी प्रकार की डिक्री पारित नही की जा सकेती है। 1978 आर.आर.डी. 664 में यह प्रतिपादित किया गया है कि धारा 53 के अन्तर्गत यदि कोई समझौता न तो पंजीकृत है और ना ही साबित है तो यह महत्वहीन है। प्रति प्रार्थना पत्र में वाद कारण अंकित नही किया है। अतः प्रति प्रार्थग्ना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

<u>प्रथम दृष्टया मामला</u> :– प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थी संख्या 1 से 17 का कोई हक व अधिकार नही है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे। अप्रार्थी संख्या 20 ने भी अपने जवाब के साथ प्रति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा प्रार्थी व जवाबकर्ता के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 1 व 3 से 11 व 13 से 17 के पूर्वज नारायण द्वारा अपनी पुश्तैनी भूमि में दावाकृत भूमि का बंटवारा व इकरारनामा दिनांक 07.06.2001 को लेखबद्ध कर प्रार्थी व जवाबकर्ता के पक्ष में भूमि का विवाद मुकदमा निस्तारण के समय कर दिया। आराजी मुतनाजा के मालिक व स्वामी प्रार्थी व जवाबकर्ता चले आ रहे है। अतः प्रति प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी व जवाबकर्ता को खातेदार दर्ज किया जावे अप्रार्थी संख्या 1 से 17 को पाबंद किया जावे। किन्तु आराजी मुतनाजा प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 से 17 व 20 की सह खातेदारी की है। उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है। वादी ने मूल वाद में विभाजन का अनुतोष चाहा है। अप्रार्थी संख्या 20 द्वारा अपंजीकृत इकरारनामा पेश किया है। अविभाजित आराजी पर प्रत्येक सहखातेदार का हक व अधिकार निहित होता है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अप्रार्थीगण का आराजी मुतनाजा पर अधिकार नही मानते हुये उन्हे पाबंद किये जाने का निवेदन किया है किन्तु अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा के रिकार्डेड खातेदार है जिन्हे पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होंगे। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अंकित नजीर प्रकरण में चस्पा पायी जाती है। प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नही होता है।

<u>2. सुविधा का संतुलन</u> :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 20 सिद्व नही होता है। तदनुसार सुविघा का संतुलन भी बहक प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 20 सिद्व नही होता है। शेष तथ्यो का गुणावगुण पर निस्तारण मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

<u>3. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना</u> :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो [illegible] यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण [illegible] मुतनाजा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 17 व 20 की सह [illegible] अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 20 [illegible] सिद्व नही होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:49:28 IST
Reason: SelfAttested

—4

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

आदेश :– अतः ग्राम नान्दना के खाता संख्या 475/380 किता 9 रकबा 4.62 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व अप्रार्थी संख्या 20 का प्रति प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सर इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:49:28 IST
Reason: SelfAttested